न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0–4 लखीमपुर–खीरी।
उपस्थित– बाबूराम (एच0जे0एस0)

सत्र परीक्षण सं0–681/2011

उ0प्र0 राज्य ---------------------------- अभियोगी।

बनाम

1– आजाद अहमद पुत्र मो0 इशहाक
2– रियाज अहमद स्व0 रौनक अली
3– लियाकत अली पुत्र स्व0 रौनक अली
4– मास्टर आशिक अली पुत्र स्व0 रौनक अली
5– खुर्शीद उर्फ फरमान पुत्र स्व0 रौनक अली
6– अयाज अशरफ पुत्र आजाद अहमद
7– साबिर अली पुत्र कल्लन खां,
निवासीगण ग्राम पहाड़ा, थाना– मितौली, जिला–खीरी

----------------अभियुक्तगण

मु0अ0सं0–सी0–460ए/2010
धारा–147,148,149,323,324,307,
427 भा0दं0सं0,
थाना– मितौली, जिला– खीरी।

निर्णय

थाना मितौली, जिला लखीमपुर–खीरी की पुलिस ने आरोप पत्र सं0–132ए/2010 के द्वारा अभियुक्तगण आजाद अहमद, रियाज अहमद, लियाकत अली, मास्टर आशिक अली, खुर्शीद उर्फ फरमान, अयाज अशरफ, साबिर अली का चालान करके मु0अ0सं0–सी–460ए/2010,धारा–147,148, 149,323,324,307,427 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत परीक्षण हेतु आरोप–पत्र विद्वान मजिस्ट्रेट के न्यायालय मे प्रेषित किया गया। अपर सिविल जज (जू0डिवी0) /न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट नं0–3, लखीमपुर– खीरी द्वारा अपने आदेश दिनांक 30–7–2017 के द्वारा उक्त अभियोग की पत्रावली को सत्र न्यायालय परीक्षण हेतु सत्र सुपुर्द किया और उक्त सत्र वाद स्थानांतरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।

संक्षेप मे अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा महमूद अहमद पुत्र अब्दुल लतीफ, निवासी ग्राम पहाड़ा, थाना मितौली, जिला–खीरी ने दिनांक– 24–8–2006 को प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा– 156(3) दं0प्र0सं0 न्यायालय तृतीय अपर सी0जे0एम0, लखीमपुर–खीरी में इस आशय का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया कि प्रार्थी के मकान से लगा हुआ प्रार्थी का बाग है जिसे गांव के ही रियाज, अयाज व आसिक दिनांक– 9–5–2010 को दोपहर 2 बजे के करीब बाग में लगे पेंड़ों से लकड़ी काटकर क्षति पहुंचा रहे थे, प्रार्थी ने पेंड़ काटने से मना किया जिस पर कहा–सुनी हो गयी । लगभग 4. 30 बजे आजाद, रियाज, लियाकत व मास्टर आसिफ तथा खुर्शीद उर्फ

फरमान, अयाज , साबिर बन्दूक व धारदार हथियर लेकर आमादा फौजदारी प्रार्थी के घर पर आ गये और अपने साथ लाये बन्दूको से आसिक, खुर्शीद व आजाद फायर करने लगे । खुर्शीद व आजाद द्वारा चलाई गई गोली से आमिर खान घायल हो गया । प्रार्थी जब आमिर को बचाने दौड़ा। अभियुक्त आसिक ने प्रार्थी के सर पर जान से मार डालने की नियत से कांते से प्रहार किया जिससे प्रार्थी भी रक्त रंजित हो घटनास्थल पर ही बेहोश हो गया शोर गुल सुनकर प्रार्थी के जुबेर, रूकसार, मशरूर व अन्य परिजन तथा अशफाक व युनूस आदि लोग मौके पर गये अभियुक्तगणो द्वारा उन पर भी लाठी डण्डो व कांतो से प्रहार किया जिससे जुबैर व अन्य लोगों को भी गम्भीर चोटे आयी । जिन्हें गांव वालों व परिजन थाना मितौली ले गये जहां पर मितौली पुलिस द्वारा लिखित तहरीर ले ली गयी दो दिनों तक प्रार्थी व घ ाायलों को रोंक रखने के बावजूद थाना मितौली की पुलिस द्वारा न तो उनकी रिपोर्ट लिखी गयी और न ही इलाज हेतु अस्पताल ही भेजा गया । हालत विगड़ती देखकर प्रार्थी गम्भीर घायल आमिर व जुबैर को लेकर उनके परिजन सी0एच0सी0 मितौली लाये। मितौली अस्पताल में प्रार्थी व अन्य घ ाायलो की चिकित्सा हुई व आमिर की गम्भीर दशा देकर जिला चिकित्सालय लखीमपुर भेज दिया गया। प्रार्थी के सर व कंधा पर गम्भीर आयी चोटो का एक्सरे करने व उपचार की सिफारिस की गयी । प्रार्थी के सिर के दोनो तरफ घातक धारदार हथियार व लाठी की गम्भीर चोटे पायी गयी थी । आमिर के सीने माथे पर गम्भीर जान लेवा चोटे आयी थी । थाना मितौली की पुलिस अभियुक्तों के राजनैतिक रूप से प्रभावशाली होने के चलते न तो प्रार्थीगण की रिपोर्ट लिखी न तो कोई कार्यवही ही की । प्रार्थी ने एक प्रार्थना–पत्र पुलिस अधीक्षक, लखीमपुर–खीरी को दिया गया जिस पर भी कोई कार्यवाही नहीं की गयी तथा प्रार्थी विवश होकर श्रीमान के समक्ष प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर रहा है और न्याय की गुहार कर रहा है । अतः प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र को दृष्टिगत रखते हुए थानाध्यक्ष मितौली को आदेशित करके कि वह प्रार्थी की रिपोर्ट दर्ज कर विपक्षीगण के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करने की कृपा की जाय ।

वादी मुकदमा महमूद अहमद के प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–156(3)दं0प्र0सं0 के आधार पर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित–1–7–2010 के आधार पर अभियुक्तगण आजाद अहमद, रियाज अहमद, लियाकत अली, मास्टर आशिक अली, खुर्शीद उर्फ फरमान, अयाज अशरफ, साबिर अली के विरूद्ध मु0अ0सं0–सी–460ए/2010, धारा–147,148,149,

323, 324,307, 427 भा0दं0सं0 में पंजीकृत किया गया ।

प्रस्तुत प्रकरण की विवेचना विवेचक द्वारा की गयी। दौरान विवेचना विवेचक ने घटना स्थल का निरीक्षण किया, घटना स्थल का नक्शा–नजरी, वादी मुकदमा व अन्य गवाहान के बयान अन्तर्गत धारा–161 सी0आर0पी0सी0 अभिलिखित किया तथा चिकित्सीय रिपोर्ट का अवलोकन करने के पश्चात अभियुक्तगण आजाद अहमद, रियाज अहमद, लियाकत अली, मास्टर आशिक अली, खुर्शीद उर्फ फरमान, अयाज अशरफ, साबिर अली के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाते हुए मु0अ0सं0–सी–460ए/2010,, धारा–147,148,149, 323,324, 307, 427 भा0दं0सं0 सम्बन्धित मजिस्ट्रेट के न्यायालय मे आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

अभियुक्तगण आजाद अहमद, रियाज अहमद, लियाकत अली, मास्टर आशिक अली, खुर्शीद उर्फ फरमान, अयाज अशरफ, साबिर अली के विरूद्ध अं0 धारा–147,148,149, 323,324,307,427 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत आरोप विरचित किया गया, जिससे अभियुक्तगण ने इन्कार किया और विचारण की मांग की।

अभियोजन पक्ष ने अपने केस के समर्थन मे पी0डब्लू0–1 महमूद अहमद, पी0डब्लू0–2 आमिर खान , पी0डब्लू0–3 जुबेर, पी0डब्लू0–4 युनूस, पी0डब्लू0–5 अहमद हुसेन को परीक्षित कराया गया है तथा अभिलेखीय साक्ष्य पर प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा– 156(3) दं0प्र0सं0 पर प्रदर्श क–1,चिक एफ0आई0आर पर प्रदर्श क–2, कायमी जी0डी0 पर प्रदर्श क–3, चिकित्सीय प्रपत्र पर प्रदर्श क–4 ,5, 6, 8, 9, 10 ,नक्शा नजरी पर प्रदर्श क–7, आरोप–पत्र पर प्रदर्श क–11, एक्सरे प्लेट पर प्रदर्श 1 लगायत प्रदर्श क–8 डाले गये।

अभियुक्तगण का बयान अन्तर्गत धारा–313 दं0प्र0सं0 लेखबद्ध किया गया, जिसमें अभियुक्तगण ने अभियोजन कथानक को गलत बताया एवं साक्षियों के बयानो को गलत बताया एवं सफाई साक्ष्य से इन्कार किया गया है।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता की बहस को सुना तथा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया गया।

वर्तमान प्रकरण मे मुख्य रूप से विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्ध अधिरोपित आरोप को युक्ति युक्त संन्देह की सीमा से परे सिद्ध कर लेने मे सफल रहा है अथवा नही ?

अभियोजन की ओर से अभियोजन कथानक एवं अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोप को साबित करने के लिए पी0डब्लू0–1 महमूद अहमद को परीक्षित कराया गया है, जिसने सशपथ बयान दिया है कि घटना आज से 6 वर्ष पूर्व की है मेंरी बाग में लगे पेंड़ो की लकड़ी काटकर आजाद रियाज, लियाकत, मास्टर, आसिक, खुर्शीद उर्फ फरमान, आयाज व साबिर आदि को मैंने लकड़ी काटते या क्षति पहुंचाते नहीं देखा था । और न ही मैने उपरोक्त लोगों को पेंड़ काटते हुए देखा था। उपरोक्त मुल्जिमान 4.30 बजे बन्दूक व धारदार हथियार लेकर मेंरे घर नहीं आये थे और न ही आसिक,खुर्शीद व आजाद ने कोई फायर किया था । आजाद व खुर्शीद द्वारा फायर करके आमिर को चोट नहीं पहुंचाई गयी थी । आशिक ने जान से मारने की नियत से कांते का प्रहार मेंरे ऊपर नहीं किया था । मेंरे गांव में उस दिन बारात आयी थी उसी में लोग खुशी में फायर कर रहे थे जिसमें मेंरे परिवार के कुछ लोगों को चोटे आयी थी । बराती बाहर के थे जिन्हें देख व पहचान नहीं पाया था । उपरोक्त मुल्जिमानों में से किसी ने भी लाठी डण्डो से प्रहार करके किसी को चोट नहीं पहुंचाई थी । चोटहिल का इलाज जिला अस्पताल में कराया था । लोगों के कहने पर बहकावे में आकर मैंने उपरोक्त लोगों के खिलाफ उच्च अधिकारियों को प्रार्थना–पत्र दे दिये थे । जिनमें कोई सत्यता नहीं है। धारा–156 (3)दं0प्र0सं0 के तहत जो मैने प्रार्थना–पत्र अदालत में दिया था वह बोल–बोल कर टाइप नहीं कराया गया और न ही वह प्रार्थना–पत्र मुझे पढ़कर सुनाया गया था उस प्रार्थना–पत्र पर मेंरा हस्ताक्षर मुंशी जी ने करवा लिया था । साक्षी को कागज सं0– क4 टाइपशुदा प्रार्थना–पत्र दिखा गया तो उसने बताया कि इस पर मेंरा हस्ताक्षर है। इस साक्षी द्वारा प्रदर्श क–1 को साबित किया है ।

इस स्तर पर साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया तथा न्यायालय की अनुमति से जिरह की गयी तो जिरह में कहा है कि गवाह को धारा– 161 दं0प्र0सं0 का बयान पढ़कर सुनाया गया तो गवाह न कहा कि यह बयान मैने दरोगा जी को नहीं दिया था । कैसे लिख दिया मैं नहीं जानता ।

बचावपक्ष द्वारा जिरह की गयी तो साक्ष्य दिया है कि यह सही है कि मुल्जिमान आजाद अहमद और मेंरे गांव के व परिवार के है । यह भी सही है कि हम दोनो पक्षों के बीच आपसी सुलह हो गयी है और अब उभय पक्षों के मध्य किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है और न ही भविष्य में कोई विवाद होने की सम्भावना है। मेंरे गांव में दिनांक– 9–5–2010 की घटना

सही है कि मेंरे गांव में बारात आयी थी जिसमें कुछ लोग हर्ष फायरिंग कर रहे थे । जिसमें मेंरे परिवाद के आमिर आदि को छर्रे लग गये थे । भगदड़ मच गयी थी । उसी में मैं गिर गया थ जिससे मेंरे सिर में चोट लगी थी । मुझे किसी ने मारा–पीट नहीं था । लोगों के कहने पर मैंने मुकदमा लिखा दिया था ।

पी0डब्लू0–2 आमिर खां को परीक्षित कराया गया है, जिसने सशपथ बयान दिया है कि अर्सा करीब 6 साल पूर्व मेंरे गांव में बारात आयी थी उस बारात में काफी भीड–भाड़ थी और बराती खुशी से फायर कर रहे थे हर्ष फायरिंग हो रही थी । उस समय करीब 4.00–4.30 बजा होगा उसी में भगदड़ मच गयी थी कुछ लोगों को छर्रे लग गये थे उस भगदड़ में मैं गिर गया था जिससे मेंरे शरीर पर चोटे आयी थी जिनका डाक्टरी मोआइना मितौली में हुआ था मुझे हाजिर अदालत मुल्जिमान आजाद अहमद, रियाज अहमद, मास्टर , आसिक अली, लियाकत अली, खुर्शीद उर्फ फरमान अली, फैयाज अशरफ व साबिर अली आदि ने न तो मारा–पीटा था और न ही जान से मारने की नियत से हम लोगों पर कोई फायर ही किया था । इस सम्बंध में किसी पुलिस वालों ने मुझसे कोई पूंछ–तांछ नहीं किया था ।

इस स्तर पर साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया तथा न्यायालय की अनुमति से जिरह की गयी तो जिरह में कहा है कि गवाह को धारा–161 दं0प्र0सं0 का बयान पढ़कर सुनाया गया तो उसने इन्कार किया कहा कि मैने दरोगा जी को ऐसा कोई बयान मैने नहीं दिया था कैसे लिख लिया था इसकी वजह नहीं बता सकता हूं ।

पी0डब्लू0–3 जुबेर को परीक्षित कराया गया है, जिसने सशपथ बयान दिया है कि अर्सा करीब 5–6 साल पूर्व की घटना है मेंरे गांव में बारात आयी थी उस बारात में हर्ष फायरिंग हो रही थी जिसमें कुछ लोगों को गोली लग गयी थी भगदड़ में भीड़ में मैं गिर गया था और गिर जाने से मुझे भी चोटे आयी थी मुझे किसी ने मारा–पीट नहीं था।बारात में भीड़ थी । इसलिये फायर करने वालों को देख व पहचान नहीं पाया था । हाजिर अदालत आजाद ,रियाज, लियाकत , मास्टर आसिक, खुर्शीद , फैयाज , साबिर को मैने फायर करते व मारपीट करते हुए नहीं देखा था । उपरोक्त लोगों में से मुझे कोई मारा–पीटा नहीं था । मेंरी चोटो का डाक्टरी परीक्षण हुआ था जो गिरने से आ गयी थी ।

इस स्तर पर साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया तथा न्यायालय की अनुमति से जिरह की गयी तो जिरह में कहा है कि

दरोगा जी ने मेंरा कोई बयान नहीं लिया था । गवाह को धारा– 161 दं0प्र0 सं0 का बयान पढ़कर सुनाया गया तो उसने कहा कि ऐसा कोई बयान नहीं दिया था। दरोगा जी ने कैसे लिख गया इसकी वजह नहीं बता सकता हूं यह कहना गलत है कि अभियुक्त मेंरे रिश्तेदार है इसलिये सही बात नहीं बता रहा हूं ।

पी0डब्लू0–4 युनूस को परीक्षित कराया गया है जिसने सशपथ बयान दिया है कि घटना वाले दिन समय 4.30 बजे बन्दूक व धारदार हथियार लेकर अभियुक्तगण आजाद अहमद, रियाज अहमद, लियाकत अली, मास्टर आशिक अली, खुर्शीद उर्फ फरमान, अयाज अशरफ, साबिर अली नहीं देखा था और न ही खुर्शीद , आसिक व आजाद को मैने कोई फायर करते देखा था और न ही आशिक को जान से मारने की नियत से महमूद पर कांता से कोई प्रहार ही किया था , जो बारात मेंरे गांव में आयी थी उसमें तमाम बाहरी लोग थे उसमे हर्ष फायरिंग हो गयी थी । उसी से गांव के बहुत से लोगों को चोट आ गयी थी । मैने किसी को लाठी डण्डा से मारपीट करते नहीं देखा था । इस घटना में मुझे कोई चोट नहीं आयी थी । बारात में भगदड़ मच गयी थी । इस कारण मैने किसी को देखा व पहचाना नहीं था ।

इस स्तर पर साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया तथा न्यायालय की अनुमति से जिरह की गयी तो जिरह में कहा है कि दरोगा जी ने मेंरे बयान नहीं लिये थे ।गवाह का उसका धारा– 161 दं0प्र0 सं0 का बयान पढ़कर सुनाया गया तो गवाह ने कहा ऐसा कोई बयान मैने दरोगा जी को नहीं दिया था । कैसे लिख लिया इसकी वजह नहीं बता सकता हूं।

पी0डब्लू0–5 अहमद हुसेन उर्फ अशफाक को परीक्षित कराया गया है जिसने सशपथ बयान दिया है कि आज से करीब सात साल पहले मेंरे गांव में बारात आयी थी मैं उस दिन गांव में नहीं था बाहर गया था । बाद में मालूम हुआ कि कुछ लोग हर्ष फायरिंग कर रहे थे उसमें कुछ लोगों को छर्रे लगे थे मेंरे सामने कोई घटना नहीं हुई थी ।

इस स्तर पर साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया तथा न्यायालय की अनुमति से जिरह की गयी तो जिरह में कहा है कि दरोगा जी ने मेंरे बयान नहीं लिये थे ।गवाह का उसका धारा– 161 दं0प्र0 सं0 का बयान पढ़कर सुनाया गया तो गवाह ने कहा ऐसा कोई बयान मैने

दरोगा जी को नहीं दिया था । कैसे लिख लिया इसकी वजह नहीं बता सकता हूं।

चोटहिल आमिर खान की डाक्टरी परीक्षण रिपोर्ट पत्रावली पर उपलब्ध है जिसमें उसके शरीर पर दो चोट आना उल्लिखित किया गया,

चोट सं0–1 प्रवेश घाव ललाट पर वांये तरफ स्थित था । चोट को जेर निगरानी रखा गया था ।

चोट सं0–2 छोटी प्रवेश घाव 2.5 सेमी0 जो छाती पर बगल में , जो कन्धे के जोड़ के पास थी ।

चोटहिल महमूद खॉ की डाक्टरी परीक्षण रिपोर्ट पत्रावली पर उपलब्ध है जिसमें उसके शरीर पर तीन चोट आना उल्लिखित किया गया ।

चोट सं0–1 फटा हुआ घाव 2.5 सेमी × 1 सेमी0 × हड्डी तक गहरा सिर मे वांयी तरफ स्थित था ।

चोट सं0–2 कटा हुआ घाव 4 सेमी0 × 0.5 सेमी0 × हड्डी तक गहरा सिर पर वांयी तरफ वांये कान से 7 सेमी0 ऊपर था ।

चोट सं0–3 नीलगू निशान 4 सेमी0 × 2 सेमी0 वांये भुजा के मध्य भाग पर स्थित था ।

चोटहिल जुबैर अहमद के शरीर पर निम्न चोटे अंकित है ।

चोट सं0–1 फटा हुआ घाव 3 सेमी0 × 0-5 सेमी0 × हड्डी तक गहरा वांये तरफ पीछे तरफ ।

चोट सं0–2 फटा हुआ घाव 2 सेमी0 × 0-5 सेमी0 × हड्डी तक गहरा वांये तरफ पीछे तरफ ।

चोट सं0–3 फटा हुआ घाव 1 सेमी0 × 0-5 सेमी0 × स्कल डीप सिर पर स्थित था ।

चोट सं0–4 नीलगू निशान 3 सेमी0 × 3सेमी0 ।

चोटो को जेरे निगरानी रखते हुए एक्सरे की सलाह दी गयी थी ।

अभियोजन कथानक के अनुसार दिनांक– 9–5–2010 को दोपहर 2 बजे के करीब अभियुक्तगण वादी मुकदमा के बाग में लगे पेंड़ों से लकड़ी काट रहे थे मना करने पर कहा–सुनी हो गयी । लगभग 4.30 बजे आजाद, रियाज, लियाकत, आसिक, खुर्शीद, अयाज, साबिर, बन्दूक व धारदार हथियर लेकर के घर पर आ गये तथा फायर करने लगे । खुर्शीद व आजाद की गोली से आमिर खान घायल हो गये । बचाने दौड़े तो आसिक ने प्रार्थी के सिर पर जान से मारने की नियत से प्रहार किया शोर पर बहुत से लोग आ गये जिन्होंने बीच–बचाव किया । इस कथानक को साबित करने के लिये

अभियोजन की ओर से पी0डब्लू0–1 वादी मुकदमा मोहम्मद अहमद को परीक्षित कराया गया है जिन्होंने सशपथ बयान दिया है कि अभियुक्तगण उपरोक्त मेंरे बाग में लगे पेंडों को काटकर क्षति पहुंचाते मैंने नहीं देखा था न पेंड़ काटते हुए देखा था । अभियुक्तगण उपरोक्त साढ़ 4 बजे धारदार हथियार लेकर मेंरे घर पर नहीं आये थे न कोई फायर किया था । अभियुक्तगण के फायर से आमिर खान को कोई चोट नहीं आयी थी । आसिक ने जान से मारने की नियत से मेंरे ऊपर कांता से प्रहार नहीं किया था। मेंरे गांव में बारात आयी थी उसी खुशी में लोग फायर कर रहे थे जिससे कुछ लोगों को चोटे आयी थी। इस प्रकार पी0डब्लू0–1 वादी मुकदमा ने अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है। पी0डब्लू0–1 वादी मुकदमा द्वारा इस घटना की रिपोर्ट लिखाने हेतु तहरीर थाने पर दी गयी थी एवं न्यायालय में प्रार्थना–पत्र दिया था जिसके आधार पर मुकदमा कायम हुआ । तहरीर के सम्बंध में साक्ष्य दिया हे कि मैने प्रार्थना–पत्र टाइप नहीं कराया था । प्रार्थना–पत्र मुझे पढ़कर नहीं सुनाया गया था । मुन्शी जी ने हस्ताक्षर करवा लिया था । इस प्रकार पी0डब्लू0–1 ने स्वंय द्वारा दिये गये प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा– 156 (3) दं0प्र0सं0 के तथ्यों से इन्कार किया है । इस साक्षी से अभियोजन द्वारा जिरह की गयी । परन्तु जिरह में भी इस साक्षी ने अभियोजन कथानक का समर्थन नही किया है ।

अभियोजन की ओर से चोटहिल साक्षी पी0डब्लू0–2 आमिर खान, पी0डब्लू0–3 जुबैर को परीक्षित कराया गया है । इन दोनो साक्षियों ने साक्ष्य दिया है कि मेंरे गांव में बारात आयी थी । बारात की खुशी में लोग फायर कर रहे थे । उस समय साढ़ 4.00 बजे होगा उसी में भगदड़ मच गयी तथा कुछ लोगों को छर्रे लग गये । उस भगदड़ में मैं गिर गया था जिससे मेंरे शरीर पर चोट आयी थी । मेंरी चोटो का डाक्टरी परीक्षण हुआ था । मुझे अभियुक्तगण आजाद, रियाज, लियाकत, आसिक, खुर्शीद, अयाज, साबिर, आदि ने मारा–पीटा नहीं था न जान से मारने की नियत से फायर किया था । इस प्रकार चोटहिल साक्षी पी0डब्लू0–2 एवं पी0डब्लू0–3 ने भी अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है । पी0डब्लू0–4 चोटहिल साक्षी युनूस ने अभियुक्तगण द्वारा फायर करना अथवा उनके फायर से चोट आने के तथ्य को इन्कार किया है। इसके शरीर पर जो चोटे आयी है उसे भगदड़ में गिर जाने की वजह से आना बताया । पी0डब्लू0–5 अहमद हुसेन जो कि घटना का प्रत्यक्षद्रर्शी साक्षी है, को परीक्षित कराया गया है जिसने साक्ष्य दिया है कि घटना वाले दिन मैं गांव में नहीं था बाहर गया था । बाद में

मालूम हुआ कि कुछ लोग हर्ष फायरिंग कर रहे थे । उसमें कुछ लोगों को छर्रे लगे थे । इस प्रकार पी0डब्लू0—5 ने भी अभियोजन कथानक व घटना का समर्थन नहीं किया है ।

अभियोजन की ओर से अभियोजन कथानक एवं घटना को साबित करने के लिये तथ्य के साक्षी पी0डब्लू0—1 लगायत पी0डब्लू0—5 को परीक्षित कराया गया है । परन्तु इन साक्षियों ने अभियोजन कथानक तथा घटना का समर्थन नहीं किया है । पी0डब्लू0—1 लगायत पी0डब्लू0—4 उक्त घटना के चोटहिल साक्षी है । परन्तु इन चारो साक्षियों ने अभियोजन कथानक एवं घटना का समर्थन नहीं किया है । पी0डब्लू0—1 लगायत पी0डब्लू0—4 के शरीर पर चोटे आयी है । परन्तु उक्त चोटों को अभियुक्तगण द्वारा पहुंचाये जाने के सम्बंध में कोई साक्ष्य नहीं दिये है बल्कि यह साक्ष्य दिया है कि घटना वाले दिन गांव में बारात आयी थी उसी में कुछ लोग हर्ष फायरिंग कर रहे थे । जिससे कुछ लोगों को छर्रे लगे थे तथा कुछ लोग उसी भगदड़ में गिर गये थे जिससे चोटे आयी थी । पी0डब्लू0—1 वादी मुकदमा द्वारा इस घटना की टाइपसुदा तहरीर अन्तर्गत धारा— 156(3) दं0प्र0सं0 में न्यायालय में दिया गया । परन्तु पी0डब्लू0—1 वादी मुकदमा द्वारा प्रार्थना—पत्र के तथ्यों से इन्कार किया है । इस प्रकार पी0डब्लू0—1 वादी मुकदमा ने अभियोजन कथानक तथा घटना का समर्थन नहीं किया है एवं स्वंय द्वारा दी गयी तहरीर का भी समर्थन नहीं किया है । इस प्रकार अभियोजन द्वारा परीक्षित तथ्य के साक्षी पी0डब्लू0—1 लगायत पी0डब्लू0—5 ने अपने मुख्य बयान तथा जिरह में अभियोजन कथानक तथा घटना का लेशमात्र भी समर्थन नहीं किया है । पी0डब्लू0—1 लगायत पी0डब्लू0—5 अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित करके जिरह की गयी । परन्तु अभियोजन पक्ष जिरह में भी ऐसा कोई तथ्य नहीं निकलवा पाया है जिससे अभियोजन कथानक को बल मिलता हो ।

इस विधिक बिन्दु पर कोई विवाद नही है कि अभियोजन पक्ष पक्षद्रोही साक्षियों के साक्ष्य पर विश्वास नही करेगा परन्तु पक्षद्रोही साक्षियों के साक्ष्य पर विश्वास आहरित करने मे न्यायालय पर कोई विधिक प्रतिबंध नही है। इस संबंध मे माननीय न्यायालय द्वारा निम्नलिखित व्यवस्थाएं दी गयी हैं— **रमेश हरिजन बनाम यू0पी0 स्टेट 2012 (5) एस0सी0सी0 पेज—786** मे माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह व्यवस्था दी गई है कि यदि अभियोजन साक्षी अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर दिये जाते हैं तो पक्षद्रोही होने के आधार पर उसके सम्पूर्ण साक्ष्य को समाप्त नही किया जा सकता है।

इसी प्रकार **सुरेन्द्र तिवारी बनाम स्टेट आफ मध्य प्रदेश 1991 (3) एस0सी0सी0 पेज– 627** मे भी माननीय न्यायालय द्वारा यह व्यवस्था दी गई है कि पक्षद्रोही साक्षी के साक्ष्य को पक्षद्रोही हो जाने के आधार पर उसके सम्पूर्ण साक्ष्य को अस्वीकार नही किया जा सकता है बल्कि पक्षद्रोही साक्षी के उस साक्ष्य के अंश पर विश्वास आहरित किया जा सकता है, जो विश्वसनीय प्रतीत हो।

उपरोक्त विधि व्यवस्था के प्रकाश मे यह स्पष्ट है कि पक्षद्रोही साक्षियों के साक्ष्य के उस अंश पर विश्वास किया जा सकता है जिससे सत्यतता का बोध हो या सत्यतता के निकट हो या विश्वास प्रेरित हो। ऐसी स्थिति मे न्यायालय का दायित्व गुरूत्तर हो जाता है तथा न्यायालय से यह अपेक्षा की जाती है कि वह साक्षी के उस अंश का चयन करके जिससे सत्यतता का बोध हो या विश्वास प्रेरित करता हो।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभियोजन प्रपत्रों पर धारा– 294 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत औपचारिक साक्ष्य का पृष्ठांकन अंकित किया गया है। धारा– 294 दं0प्र0सं0 के पृष्ठांकन का विधिक महत्व क्या होगा, इस बिन्दु पर माननीय न्यायालय द्वारा **सादिक एवं अन्य बनाम यू0पी0 स्टेट 1981 सी0आर0एल0जे0 पेज 379** मे अपना अभिमत दिया गया है।

उपरोक्त विधि के परिशीलन से स्पष्ट होता है कि विद्वान अधिवक्ता द्वारा धारा–294 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत औपचारिक साक्ष्य की प्रमाणिकता स्वीकार अथवा अभिलेखों को स्वीकार अथवा अभियोजन अभिलेखों के निष्पादन करने का प्रभाव वह होगा कि अभिलेख जिस रूप मे हैं, उसी रूप मे साक्ष्य के अधीन ग्राह्य होंगे तथा उनपर विश्वास आहरित कर न्यायालय द्वारा निष्कर्ष निकाले जाने मे कोई विधिक प्रतिबंध नही है।

प्रस्तुत मामले मे अभियोजन द्वारा प्रस्तुत तथ्य के साक्षी पी0डब्लू0–1 लगायत पी0डब्लू0–5 के सम्पूर्ण साक्ष्य के सम्यक आकलन करने के पश्चात् कोई भी अंश ऐसा प्रतीत नही होता है जिससे सत्यता का बोध हो या जिस पर विश्वास उत्पन्न करता हो एवं जिसके आधार पर अभियुक्तगण के अपराध कारित करने मे संलिप्तता के संदर्भ मे निष्कर्ष आहरित करने मे न्यायालय को कोई सहायता उपलब्ध हो सके। अभियोजन अभिलेखों को जिन पर अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा पृष्ठांकन अंकित किया गया है। सत्य साक्ष्य के अधीन ग्राह्य एवं विश्वसनीय मानने पर भी स्थिति इस प्रकार स्पष्ट है कि तथ्य के किसी साक्षी ने अथवा वादी मुकदमा द्वारा अभियोजन कथानक का समर्थन नही किया गया, न ही अभियुक्तगण के विरूद्ध अभिकथन किया

गया है। तथ्य के साक्ष्य के समर्थन के अभाव मे मात्र अभिलेख के सत्य एवं विश्वसनीय मानने के आधार पर अभियुक्तगण को दोषसिद्ध किया जाना स्थापित न्याय प्रक्रिया के अनुकूल नही होगा।

इस प्रकार अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्षीगण ने अभियुक्तगण के विरूद्ध ऐसा कोई साक्ष्य नही दिया है। जिससे यह तथ्य साबित हो सके कि घटना के दिन अभियुक्तगण द्वारा किये गये मार–पीट से वादी मुकदमा महमूद, आमिर खान, जुबैर को चोट आयी हो। बल्कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों ने अभियोजन कथानक एवं घटना से इन्कार किया है।

पत्रावली के अवलोकन एवं अभियोजन साक्ष्य से प्रस्तुत मामला क्रास केस का है । अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों ने दोनो दाण्डिक वादो में चोटहिलों को चोट आने के तथ्य को स्वीकार किया गया है। परन्तु प्रस्तुत मामले में अग्रेसर कौन है, यह तथ्य अभियोजन साक्ष्य से साबित नहीं है ।

अभियोजन द्वारा प्रस्तुत तथ्य के साक्षी पी0डब्लू0–1 लगायत पी0 डब्लू0–5 ने अभियोजन कथानक का किसी भी स्तर पर समर्थन नही किया है। अभियोजन द्वारा तथ्य के साक्षियों के अलावा औपचारिक साक्षियो को इस आधार पर परीक्षित नही कराया गया है क्योंकि अभियुक्तगण द्वारा जरिये अधिवक्ता औपचारिक साक्ष्य की प्रमाणिकता को स्वीकार किया गया है। परन्तु अभियुक्त द्वारा मात्र औपचारिक साक्ष्य की सत्यता की स्वीकारोक्ति के आधार पर उसे दोषसिद्ध नही किया जा सकता है क्योंकि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों ने अभियोजन कथानक का समर्थन नही किया है। अभियोजन साक्ष्य से यह तथ्य साबित नही है कि अभियुक्तगण द्वारा घटना कारित किया गया हो। अभियोजन की ओर से जो साक्षी परीक्षित कराये गये हैं, उनमें से किसी भी साक्षी ने घटना तथा अभियोजन कथानक का समर्थन नही किया है। इस प्रकार अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों के साक्ष्य से अभियोजन कथानक एवं घटना अभियुक्तगण द्वारा किया जाना साबित नही होती है।

इस प्रकार अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोप को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने मे असफल रहा है। इसलिए अभियुक्तगण आजाद अहमद, रियाज अहमद, लियाकत अली, मास्टर आशिक अली, खुर्शीद उर्फ फरमान, अयाज अशरफ, साबिर अली लगाये गये आरोप अं0 धारा–147,148,149,323,324,307, 427 भा0दं0सं0 भा0दं0सं0 मे संदेह का लाभ पाते हुए दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्तगण आजाद अहमद, रियाज अहमद, लियाकत अली, मास्टर आशिक अली, खुर्शीद उर्फ फरमान, अयाज अशरफ, साबिर अली को मु0अ0सं0–सी–460ए / 2010,,धारा–147,148,149,323,324,307,427 भा0दं0सं0 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्तगण जमानत पर हैं। अतः उनके बंधपत्र तथा जमानतनामें निरस्त किये जाते हैं तथा उनके प्रतिभू को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

दिनांक 11–10–2017

(बाबू राम)
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0–4
लखीमपुर–खीरी

आज यह निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांक 11–10–2017

(बाबू राम)
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0–4
लखीमपुर–खीरी